

राजस्थान सरकार  
सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग  
जी-३ / १.अमेरिकन भवन राजगड़ल पैलेस के पीछे जयपुर

प्राप्ति एफ ११(१५)( )/ओरोती/( कलाल-नगारधी-फकीर)/आरएडी/सामाजिक/१३/६८२५४

जयपुर दिनांक १३/१

### अधिसूचना

राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी की गई विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा राजस्थान राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में जोड़े गए विभिन्न जाति/वर्गों के नामों के अनुक्रम में मंत्रिमण्डल की आज्ञा २१९/२०१३ दिनांक १० सितम्बर, २०१३ एवं २१८/२०१३ दिनांक १० सितम्बर, २०१३ की अनुपालना में राजस्थान राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिकृत सूची में तुरन्त प्रभाव से निम्न पिछड़े जाति/वर्गों के नाम जोड़े जाते हैं :—

क्र.सं.	जाति/वर्ग जिसे समिलित किया गया है।	राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग की जारी सूची की क्रम संख्या जिस पर इस जाति/वर्ग को जोड़ा गया है।
१	सूची की क्रम संख्या २६ पर कलाल (टाक), कलाल (मेयाडा), कलाल (सुवालका), कलाल (जायसवाल), कलाल (अहलूयालिया) एवं कलाल (पटेल) के पहले शुरू में 'कलाल'	अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची की क्रम संख्या २६ पर कलाल, कलाल (टाक), कलाल (मेयाडा), कलाल (सुवालका), कलाल (जायसवाल), कलाल (अहलूयालिया) एवं कलाल (पटेल)
२	क्रम संख्या ५६ पर अंकित जातियों नगारधी-दमामी, राणा, बायती (बारोट) सभी के आगे (मुस्लिम)	अन्य पिछड़ा वर्ग की क्रम संख्या ५६ पर नगारधी-दमामी (मुस्लिम), राणा (मुस्लिम), बायती (बारोट मुस्लिम)
३	सूची में क्रमांक ४८ पर फकीर (कब्रिस्तान में कार्य करने वाले) जाति/वर्ग के आगे कोष्टक में अंकित (कब्रिस्तान में कार्य करने वाले) शब्द को विलोपित करना।	अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में क्रम संख्या ४८ पर फकीर

आज्ञा से,

(डॉ. मनजीत सिंह)  
प्रमुख शासन सचिव

१२/१/३

फैसलांक : एक 11(125)( ) /ओरींगी / (कलाल-नगारी-फ़ॉर) / आरएडपी / सान्ध्याभिति / 13 / 68255-405 जवाहर दिवाक / 30/

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. मुख्य राष्ट्रिय गहोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, राज. जयपुर।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, राज. सरकार।
5. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
6. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
7. संग्रहालय संभिंग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंग्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. समस्त संभागीय आयुक्त।
9. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
10. रजिस्ट्रार, राजस्थान हाईकोट, जोधपुर / जयपुर।
11. सचिव, राजस्थान लोकसेवा आयोग, अजगेर।
12. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जयपुर।
13. निजी सचिव, समस्त मंत्री / राज्य मंत्री, राजस्थान।
14. समस्त विभागाध्यक्ष।
15. समस्त जिला कल्कटर।
16. समस्त पुलिस अधीक्षक।
17. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
18. समस्त उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
19. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र (प्रिशेषांक) में प्रकाशन हेतु।
20. गार्ड फाइल।

प्रमुख शासन सचिव

१५९/३